राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 192/2008/अलवर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
उडनदस्ता, अलवर .....अपीलार्थी

बनाम

देवेन्द्र पुत्र श्री थावर सिंह
गुडगॉवा (हरियाणा) .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ कैम्प जयपुर
श्री खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह,
उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

श्री अलकेश शर्मा,
अभिभाषक .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 03/01/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), प्रथम, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 127/आरएसटी/एनआरडी/052–06 में पारित आदेश दिनांक 04.06.2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता, अलवर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.09.2005 के अन्तर्गत राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(10ए) के तहत आरोपित शास्ति रूपये 1,08,000/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 25.08.2005 को वाहन संख्या एचआर – 55ए/1765 को चैक किया गया। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। दस्तावेजों की जॉच पर यह पाया गया कि परिवहनित माल लोहा सरिया भिवाडी से जयपुर के लिये था और जिनका कि इन्द्राज निकटतम जॉच चौकी पर नहीं करवाया गया था। अतः परिवहनित माल दस्तावेजों को राज्य की किसी भी जॉच चौकी पर प्रस्तुत कर इन्द्राज नहीं करवाना अधिनियम की धारा 78(2)बी के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन था। अतः सशक्त अधिकारी द्वारा वाहन चालक/माल प्रभारी को नोटिस जारी किये गये, जिसका जवाब प्रस्तुत किया गया, तथा माल क्रेता एवं विक्रेता के पंजीयन प्रमाणपत्रों की प्रतियॉ प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत जवाब से असहमत होते हुए सशक्त अधिकारी द्वारा करापवंचन की नियत से बिना दस्तावेजों पर राज्य की प्रवेश जॉच चौकी मोहर अंकित करवाये जाने का दोषी माने हुए परिवहनित माल कीमतन रूपये 2,16,000/– पर अधिनियम की धारा 78(10ए) के तहत् शास्ति रूपये 1,08,000/– आरोपित की गई। अपीलीय अधिकारी ने उक्त शास्ति को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी–राजस्व द्वारा यह अपील पेश की गयी है।

लगातार.....2

3. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

4. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने कथन कहा कि इस प्रकरण से संबंधित धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति से संबंधित प्रकरण को उपायुक्त (अपील्स), भरतपुर के आदेश दिनांक 10.03.2006 के जरिये अपास्त किया गया है। इस प्रकार जब धारा 78(5) के तहत् अपास्त हो गया है, तो धारा 78(10ए) के तहत् आरोपित शास्ति के बारे में विधि सम्मत निर्णय लिया जाने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि परिवहनित माल वांछित दस्तावेजों से समर्थित था, जो कि वक्त जॉच वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा जॉच अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे। नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब पर जॉच अधिकारी द्वारा कोई गौर नहीं किया गया है। अपीलीय अधिकारी ने लिखा है कि वक्त अपील सुनवाई अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मैसर्स राठी ब्रदर्स लि. भिवाडी का निर्णय दिनांक 10.03.2006 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि इसी प्रकरण में धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति को उक्त आदेश के जरिये अपास्त किया गया है। अतः जब धारा 78(5) के तहत् कोई आरोप प्रमाणित ही नहीं हुआ है, तो धारा 78(10ए) के तहत् आरोपित शास्ति अविधिक है।

6. उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सशक्त अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ वांछित दस्तावेजों पर राज्य की प्रवेश जॉच चौकी की मोहर अंकित नहीं होने के कारण करापवंचन की नियत से माल परिवहनित करने का दोषी मानते हुए प्रत्यर्थी पर शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। अपील पत्रावली में अपील के साथ मौजूद दस्तावेजों से यह भलीभॉति प्रमाणित है कि परिवहनित माल वांछित दस्तावेजों से समर्थित था। केवल चालक/माल प्रभारी द्वारा दस्तावेजों का इन्द्राज राज्य की प्रवेश जॉच चौकी पर नहीं करवाया गया था। केवल प्रवेश जॉच चौकी पर दस्तावेजों का इन्द्राज नहीं करवाने मात्र से यह मान लिया जाना कि माल करापवंचन की नियत से परिवहनित किया जा रहा था, अविधिक है। प्रस्तुत प्रकरण में सम्पूर्ण अभियोग पत्रावली से यह कहीं प्रमाणित नहीं है कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को विस्तृत जॉच के जरिये मिथ्या एवं बोगस प्रमाणित किया गया हो या अपीलार्थी को करापवंचन का दोषी मनोभाव सिद्ध किया गया हो। इसी प्रकरण में प्रस्तुत उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर का निर्णय जो इसी प्रकरण से संबंधित धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति से संबंधित है, जिसे अपास्त किया गया है। इस प्रकार जब धारा 78(5) के तहत् कोई आरोप प्रमाणित ही नहीं हुआ है, तो धारा 78(10ए) के तहत् आरोपित शास्ति को किसी भी स्थिति में विधि सम्मत नहीं कहा जा सकता है।

7. फलतः राजस्व द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश 04.06.2007 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष